(123)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1670–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल देहगांव तहसील गैरतगंज जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 23/अ–12/2014–15.

....

1–गोपाल सिंह पुत्र स्व0रतिराम
निवासी ग्राम सॉकल तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन
2–ओंकारसिंह पुत्र स्व0रतिराम
निवासी गैरतगंज जिला रायसेन
3–नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री मंगल सिंह
निवासी ग्राम सॉकल तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन
2–हरीचरण पुत्र रूप सिंह
निवासी ग्राम सॉकल तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन

.... अनावेदकगण

....

श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 29.11.15/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल देहगांव तहसील गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 हरिचरण द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल देहगांव तहसील गैरतगंज जिला रायसेन के समक्ष

उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम गुलाबगंज जमनिया स्थित सर्वे नम्बर 100 / 2 रकबा 0.737, 104 / 1 रकबा 0.194 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 23 / अ–12 / 14–15 दर्ज कर दिनांक 7–6–2015 को सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3 / आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में आवेदकगण को विधिवत् सूचना नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि सूचना पत्र की तामीली चौकीदार से कराई गई है जबकि चौकीदार सूचना पत्र तामीली कराने हेतु अधिकृत नहीं है, अतः ऐसी तामीली वैध नहीं मानी जा सकती है । इस आधार पर कहा गया कि चूँकि सीमांकन अवैधानिक रूप से किया गया है, अतः अवैधानिक रूप से किये गये सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4 / अनावेदक कमांक 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही के दौरान आवेदकगण व पड़ोसी कृषकों विधिवत् को सूचना दी गई है और पडोसी कृषक उपस्थित भी हुये हैं । आवेदकगण सीमांकन कार्यवाही में अनुपस्थित रहा है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 2 एक ही परिवार के सदस्य है और अनावेदक कमांक 2 द्वारा उन्हें सीमांकन की जानकारी दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा विधिवत् सीमांकन कर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रकरण से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना पत्र की तामीली आवेदकगण पर कराई गई है, और सूचना पत्र पर उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये हैं । मात्र इस आधार पर कि कोटवार द्वारा सूचना पत्र की तामीली कराई जाने से अवैध नहीं मानी जा सकती है । अतः आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर स्थायी सीमा चिन्हों के आधार पर मेड पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन कराया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल देहगांव तहसील गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 1669–पीबीआर / 15 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर